कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

यह है कि श्रीमती सुमिता गोयल प्राध्यापक राजनीति विज्ञान राजकीय शहीद ले. अभय पारीक बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, गांधीनगर, जयपुर जो कि दिनांक 01.07.2010 से आज दिनांक तक निरंतर बिना सूचना स्वैच्छा से कार्यालय/विद्यालय से अनुपस्थित चल रही है।

श्रीमती सुमिता गोयल आज दिनांक तक कार्यालय/विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सेवा नियम 86(4) के तहत विद्यालय में उपस्थिति व स्पष्टिकरण देने हेतु संबंधित विद्यालय द्वारा दिनांक 06.12.2010, 05.07.2011 व 22.07.2011 को तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 11.08.2011 को आर.एस.आर. 86(1) के तहत नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में इस कार्यालय के द्वारा भी दिनांक 24.04.2019, 05.09.2019 व 18.09.2019 प्रकरण में कार्यवाही की गई। तत्पश्चात कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर के माध्यम से श्रीमती सुमिता गोयल को आर. एस.आर. 86(4) के तहत अन्तिम नोटिस का प्रकाशन निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग शासन सचिवालय जयपुर के माध्यम से राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.05.2019 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त नोटिस एवम् कार्यवाही पश्चात भी श्रीमती सुमिता गोयल आज दिनांक तक न तो कार्यालय/विद्यालय में उपस्थित हुई एवम् न ही कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच पश्चात पाया कि श्रीमती सुमिता गोयल राजकीय सेवा करने की इच्छुक नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय व अन्य बनाम मन्सूर अली खान (2000) SSC 629 में यह अवधारित किया गया है कि "if a person is absent beyond the prescribed period for which leave of any kind can be granted, he should be treated to have resigned and ceased to be in service, In such a case, there is no need to hold an enquiry or to give any notice as it would count to useless formalities."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 396/02 त्रिभुवन वल्लभ बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2003 द्वारा लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नहीं माना गया है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं बताई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती सुमिता गोयल के दिनांक 01.07.2010 से निरंतर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम 86(4) एवं वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.2017 के अनुसार 05 वर्ष से अधिक का स्वैच्छिक अनुपस्थिति का प्रकरण होने के कारण सेवा–परित्याग मानते हुए **(DEEMED TO HAVE RESIGNED)** श्रीमती सुमिता गोयल व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राजकीय शहीद ले. अभय पारीक बालिका उच्च माध्यमिक विधालय गांधीनगर जयपुर को राज्य सेवा से एतद्द्वारा पृथक किया **(REMOVAL FROM SERVICE)** जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्वैच्छि.अनु./2019 दिनांकः– 23/09/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक..........।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राबाउमावि गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कारवाई कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता एवं नियम/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रति प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती गोयल का व्याख्याता वरिष्ठता क्रमांक 311 वरिष्ठता वर्ष 2006–07 की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)